	दक्षता परीक्षण केंद्र **पीड़क प्रबंधन प्रभाग** **राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान** **राजेन्द्रनगर, हैदराबाद- 500 030, तेलंगाना राज्य, भारत**	रा व स्वा प्र सं N I P H M
http://niphm.gov.in दूरभाष : +9140-24010106		ई-मेल: dirpmniphm-ap@nic.in टेली-फैक्स : +9140-24015329

दक्षता परीक्षण केंद्र

सामान्य प्रोटोकॉल

परिचय:

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद के पीड़क प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) दक्षता परीक्षण के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17043:2010 के अनुसार मान्यता प्राप्त दक्षता परीक्षण केन्द्र है। प्रमाण पत्र संख्या P-0015 है, जो 23 मई, 2018 तक वैध है।

इस प्रोटोकॉल प्रवीणता परीक्षण (पीटी) में सामान्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रवीणता परीक्षण केंद्र द्वारा पानी में, **फलों, सब्जियां, अनाजों और दालों में पीड़कनाशी अवशेषों एवं पीड़कनाशी तकनीकी एवं पीड़कनाशी सूत्रीकरण नमूने में पीड़कनाशी विश्लेषण** किया जाता है।

यह प्रवीणता परीक्षण योजनाएं सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और मान्यता प्राप्त करने वाले प्रयोगशालाओं के लिए खुली के खुला है।

इन पीटीएस के उद्देश्य पीड़कनाशी अवशेष परीक्षण एवं पीड़कनाशी सूत्रीकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा का गुणवत्ता, सटीकता और तुलनात्मकता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना *"राष्ट्रीय स्तर पर पीड़कनाशी अवशेष की निगरानी"* के तहत कार्यरत् सभी पीड़कनाशी अवशेष प्रयोगशालाओं के लिए और एनपीआरएनएल योजना द्वारा यथा निर्णित योजना के अनुसार उपर्युक्त नमूनों के विश्लेषण हेतु कार्यरत् कर्मियों को भाग लेना अनिवार्य है।

भारत सरकार के निर्देश अनुसार, पीटी योजनाओं में भाग लेने के लिए भारत में काम करने वाले सभी नियामक राज्य पीड़कनाशी परीक्षण प्रयोगशाला (पीटीएल), क्षेत्रीय पीड़कनाशी परीक्षण प्रयोगशाला (आरपीटीएल) और केन्द्रीय पीड़कनाशी प्रयोगशाला (सीआईएल) के लिए अनिवार्य है।

गोपनीयता

प्रतिभागी द्वारा पीटीसी को प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी गोपनीय माना जाता है और प्रतिभागियों द्वारा लिखित सहमति के बिना अन्य (इच्छुक पार्टियों / नियामक निकाय) से साझा नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक प्रतिभागी को यूनिक आईडी (प्रयोगशाला कोड) व्यक्तिगत पीटी दौर के दौरान दिया जाता है। यह रिपोर्ट प्रेषण के समय केवल संबंधित प्रतिभागी को साझा किया जाएगा।

संचार

एनआईपीएचएम-पीटीएस में इस्तेमाल किये वाली आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। पीटी अभ्यास से संबंधित मामलों पर परीक्षण के दौरान भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं के बीच बातचीत करने की अनुमति नहीं है। प्रवीणता परीक्षण केंद्र की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें प्रतिभागियों को दक्षता प्रवीणता परीक्षण योजना में उनके अपने प्रदर्शन को मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

घोषणा / निमंत्रण पत्र

प्रत्येक पीटी प्रतिभागी को कम से कम 2 महीने पहले प्रयोगशालाओं के लिए पीटी आइटम की वितरित करने करने की घोषणा कर दी जाती है।

यह घोषणा एनआईपीएचएम पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया जाता है एवं इच्छुक प्रयोगशाला (जो पहले से ही एनआईपीएचएम को विवरण जमा कर चुके हैं) को ई-मेल के जरिए अतिरिक्त वितरित की जाती है।

इस घोषणा में निमंत्रण पत्र, भाग लेने से संबंधित विवरण एवं अतिरिक्त संबंधित दस्तावेज कहां से प्राप्त करें, साथ ही विशेष प्रोटोकॉल से संबंधी कुछ प्रारंभिक सूचनाएं जैसे : निर्धारित कैलेण्डर, इस्तेमाल किये जाने वाले संभावित सामग्री का नाम एवं निर्धारित लक्ष्य पीड़क सूची निहित होते हैं।

भुगतान की प्रणाली

प्रतिभागी "राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान" के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं जोकि हैदराबाद में देय होगा।

या ऑनलाइन के माध्यम से;

1. लाभार्थी का नाम : एनआईपीएचएम रेवेन्यू अकाउंट
2. बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक
3. शाखा : बुद्दवेल, शाखा, शिक्षक कॉलोनी, बुद्दवेल, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना।
4. आईएफएससी : एसबीआईएन0012818
5. बैंक खाता संख्या : 32917658917

लक्ष्य विश्लेषण / उत्पाद सूची

इस सूची में उत्पाद और विश्लेषित किये जाने वाले विश्लेषक पदार्थ जो एनआईपीएचएम वेबसाइट पर पीटी स्कीम के साथ योजना उपलब्ध होंगी।

प्रतिभागियों को निर्देश

प्रत्येक पीटी प्रतिभागी को पीटी आइटम सहित अनुदेश भेजे जाते हैं। इस अनुदेश में हैंडलिंग सहित सामान्य निर्देश, पीटी वस्तुओं का भंडारण, पीटी आइटम की प्राप्ति हेतु उपयोगी प्रारूप, परिणाम रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रारूप, पीटी समन्वयक से संपर्क विवरण आदि निहित होते हैं।

इस अनुदेश में इच्छुक प्रतिभागी प्रयोगशाला के अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ पीटी परिणाम से संबंधित सूचनाओं को साझा करने से संबंधित उनकी इच्छा भी शामिल है।

रिपोर्टिंग परिणाम के लिए सामान्य प्रक्रियाएं

निर्धारित समय के भीतर अपने परिणामों को पीटीसी को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी प्रयोगशालाओं की है। आप किसी भी कॉलम खाली (अप्राप्य) न रखें या तो आप परिणाम नहीं लिखते हैं या पता नहीं चला/ जांच स्तर से नीचे/ विश्लेषण नहीं किया गया / भाग लिया या समकक्ष शब्द नहीं है। परिणाम दो महत्वपूर्ण दशमलव स्थानों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला में टेस्ट आइटम में प्रत्येक विश्लेषित पदार्थ के लिए केवल एक परिणाम के बारे में रिपोर्ट दिया जाना चाहिए एवं निरीक्षण उद्देश्य हेतु प्रत्येक यौगिक के लिए दैनिक इस्तेमाल वाले विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुदेश पत्रक में निर्दिष्ट के अनुसार मापन की उपयुक्त इकाई का उपयोग करें।

पीड़कनाशी अवशेष के मामले में, फल, सब्जियां, अनाज और दालों में एक परीक्षण आइटम जानबूझकर पीड़कनाशी (स्पाइक) से उपचार किया जाता है और दूसरे का नहीं किया जाता है। दोनों परीक्षण वस्तुओं का प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण किया जाता है और इनमें की गई किसी भी पीड़कनाशी मिले पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पानी के मामले में प्रतिभागियों को केवल पानी का नमूना (स्पाइक) दिया जाएगा।

पीड़कनाशी सूत्रीकरण विश्लेषण के मामले में, व्यक्तिगत नमूनों को प्रयोगात्मक श्रेणी के साथ अलग-अलग प्रयोगशाला में भेजा जाता है। प्रतिभागी प्रयोगशालाओं को उपयुक्त परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। कुछ मामलों में पीटी आइटम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जा सकते हैं, जहां आम तौर पर बाजार में सूत्रीकरण (फार्मूले) उपलब्ध नहीं हैं।

कार्यविधि सूचनाएं

सभी प्रयोगशालाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे उपयोग किए जा रहें विश्लेषणात्मक पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सौंपे गए (असाइन) मूल्य का आकलन:

सांख्यिकीय मूल्यांकन परिणाम के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सौंपे गए (असाइन) मूल्य का आकलन आईएसओ 13528:2015 में यथा उल्लिखित मजबूत आंकड़ों का उपयोग करते हुए आकलन किया जाता है। [प्रतिभागियों से आम सहमति मूल्य]

दक्षता मूल्यांकन के लिए मानक व्यतिक्रम का आकलन (एसडीपीए):

अवशेष विश्लेषण के मामले में, दक्षता निर्धारण के लिए मानक व्यतिक्रम की गणना फिट-फ़ॉर (एफएफपी-आरएसडी) के आधार पर किया जाएगा।

अनुभव के आधार पर एफएफपी-आरएसडी का समुनदेशित मूल्य 25% पर निर्धारित है।

पीड़कनाशी सूत्रीकरण विश्लेषण के मामले में, दक्षता आकलन (σpt) के लिए मानक व्यतिक्रम मूल्य, आईएसओ 13528:2015 में वर्णित हॉर्विट्स समीकरण के अधार पर उपयुक्त मॉडल के आधार पर निर्धारित करते है।

हालांकि, एनआईपीएचएम-पीटी आयोजकों को केस-बाय-केस के आधार पर विश्लेषणात्मक कठिनाइयों एवं पूर्व दक्षता परीक्षणों पर विचार करते हुए अन्य तरीकों से इस्तेमाल करने का अधिकार है।

प्रतिभागी प्रदर्शन का मूल्यांकन

अ) जेड- स्कोर: उपर्युक्त सूत्र का इस्तेमाल करते हुए उल्लिखित सौंपे गए मूल एवं मानक व्यतिक्रम का उपयोग करते हुए सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

(लैब मूल्य - निर्दिष्ट मूल्य)

जेड स्कोर = --

दक्षता आकलन के लिए मानक व्यतिक्रम

आ) जेड'- स्कोर

<u>समुनदेशित किए</u> गए मूल्य मानक के अनिश्चितता के मामले में समुनदेशित किए गए मूल्य की स्वीकार्यता मानदंड के अनुरूप नहीं है यानी u(Xpt), > 0.3 σpt, , तो 'ज़ेड स्कोर के मामले में प्रदर्शन स्कोर का मूल्यांकन करने के दौरान <u>समुनदेशित किए गए</u> मूल्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखा जाता है।

परिणामों का प्रकाशन

परिणाम प्रस्तुत करने की 2 महीने की समय-सीमा के अंदर पीटीसी-पीएमडी-एनआईपीएचएम प्रारंभिक रिपोर्ट, प्रतिभागियों के परिणाम एवं परीक्षा नमूना में सभी मानदंड स्तर पर टेंटेटिव जेड-स्कोर को प्रकाशित करेगा।

पीटीसी-पैनल द्वारा परिणामों पर चर्चा किये जाने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित किये जाते हैं। अंतिम रिपोर्ट परिणाम प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा के बाद 3 महीने तक प्रकाशित किये जा सकते हैं।

प्रतिक्रिया(फीडबैक)

अंतिम रिपोर्ट के वितरण के बाद, भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं से आयोजक के लिए एवं भविष्य में सुधार हेतु सुझाव देने हेतु फीडबैक देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

अदावाकर्ता

पीटीसी-एनआईपीएचएम पैनल को नये वैज्ञानिक या तकनीकी सूचना के आधार पर इस पीटीसी-सामान्य प्रोटोकॉल के किसी भी को भाग को बदले/परिवर्तन करने का अधिकार है। उक्त अवधि के दौरान किसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित सूचनाएं दी जाएंगी।

सत्यमेव जयते	**दक्षता परीक्षण केंद्र** **पीड़क प्रबंधन प्रभाग** **राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान** **राजेन्द्रनगर, हैदराबाद- 500 030, तेलंगाना राज्य, भारत**	रा व स्वा प्र सं NIPHM
http://niphm.gov.in **दूरभाष : +9140-24010106**		**ई-मेल: dirpmniphm-ap@nic.in** **टेली-फैक्स : +9140-24015329**

प्रयोगशाला के अधिकार

अंतिम रिपोर्ट भेजने के बाद, प्रयोगशालाओं को लिखित रूप में अपने गैर-सम्बन्ध परिणाम मूल्यांकन के बारे में संवाद करने का अधिकार होगा। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई भी त्रुटियां हो, तो आयोजक को सूचित किया जाया चाहिए। आयोजक, पीटीसी प्रबंधन के परामर्श कर कोई भी पुनःमूल्यांकन करने हेतु निर्णया लेगा एवं पत्राचार के माध्यम से संबंधित सूचना देंगे।

प्रतिभागी पीटी स्कीम में अपने किये गए प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में अपील कर सकता है। पीटी योजना में उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित संदेह के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्टीकरण देने हेतु पीटीसी एक प्रक्रिया है एवं उन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना पड़ता है।

******** समाप्त *********